न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :— 100 / 2023

अपीलान्ट

1. बद्रीलाल पुत्र गोकुलराम जाति ब्राह्मण निवासी साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।

बनाम

रेस्पोडेन्टान

1. अशोक कुमार पुत्र मोतीलाल
2. प्रवीण कुमार पुत्र मोतीलाल
3. रतनलाल पुत्र मोतीलाल
4. सुरेश कुमार पुत्र मोतीलाल
5. लीला देवी पत्नी मोतीलाल जातिगण ब्राह्मण निवासीगण साण्डिया तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान।
6. सरपंच, ग्राम पंचायत साण्डिया तहसील
7. सोजत।
   तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत।

म्यूटेशन अपील अन्तर्गत धारा 75(1) डी राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, बसिलसिले स्वीकृत नामान्तरण संख्या 974, स्वीकृत सरपंच ग्राम पंचायत साण्डिया द्वारा दिनांक 28 / 04 / 1999

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
2. श्री धमेन्द्रकुमार अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट, उपस्थित।

—: <u>निर्णय</u> :— दिनांक — 18/08/23

अधिवक्ता अपीलान्ट ने राजस्व अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टान अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि सरहद मौजा ग्राम साण्डिया पटवार हल्का साण्डिया, तहसील सोजत के खसरा नंबर 827 रकबा 0.7700 हैक्टर व खसरा नंबर 831 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नंबर 838 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा नंबर 830 रकबा 0.1100 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई है। जिस कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 5 के पिता/पति मोतीलाल पुत्र जसाराम व अन्य सह खातेदारान लक्ष्मीनारायण गौद पुत्र शंकरलाल की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। जो राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 व 2050 से 2053 व 2054 से 2057 से बखुबी स्पष्ट है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान में मोतीलाल पुत्र जसाराम का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का था, जिन्होने अपने सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में बेचान करना तय कर प्रतिफल की राशि 20,000/— रोकड़ प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द कर बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 19.09.1986 को किया। जिस बेचान का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में दिनांक 20.09.1986 का पंजीयनसुदा है। मोतीलाल के स्वर्गवास पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 द्वारा यह जानते हुए कि उक्त भूमि का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में किया जा चुका है। उसके बावजूद विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से मिलावट कर बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये अपने नाम जरिये नामान्तरण संख्या 974 दिनांक 28.04.1999 को कब्जे के अभाव में स्वीकृत करवा दिया जो नामान्तरण अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विपरित शून्य है जिसे अपास्त करने हेतु उक्त अपील अपीलाण्ट की ओर से श्रीमान के समक्ष अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि जैर अपीलाधीन नामान्तरण संख्या 974 दिनांक 28.04.1999 का अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विपरीत होने से व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया अपास्त किये जाने योग्य है। अपील में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि ग्राम साण्डिया के खसरा नंबर 827, 831, 838, 830 की भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के पिता/पति मोतीलाल पुत्र जसाराम का

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का स्थित था, जिन्होंने उक्त भूमि में अपने सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्सा का बेचान अपीलाण्ट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन दिनांक 20.09.1986 के जरिये बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्राप्त कर बेचान उप पंजीयन कार्यालय सोजत में पंजीयन करवाया गया जिसके पश्चात् उक्त कृषि भूमि में मोतीलाल का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा था तथा वक्त बेचान कब्जा अपीलाण्ट ने प्राप्त कर लिया था, जिसके पश्चात् पुनः इन्ही खसरान की भूमि में जो नामान्तरण रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के नाम स्वीकृत किया गया जो नामान्तरण बिना कब्जे की जांच किये कब्जे के अभाव में स्वीकृत करने में भारी भूल की है, जिससे जैर अपीलाधीन नामान्तरण अपास्त किये जाने योग्य है। जैर अपीलाधीन नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट का उक्त भूमि पर बहैसियत खरीददार के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा था, लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 द्वारा अपने नाम नामान्तरण जो रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से स्वीकृत करवाया है, जिसकी अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं दी गई। रेस्पोडेण्ट संख्या 6 को भी नामान्तरण स्वीकृत करने से पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था, लेकिन ऐसी कोई सूचना व पत्रावली कायम नहीं की गई मात्र बाले–बाले रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 द्वारा कब्जे के अभाव में व अपने पिता/पति द्वारा किये गये बेचान की जानकारी के बावजूद अपीलाण्ट को बिना जानकारी प्रदान किये उक्त नामान्तरण स्वीकृत करवाया जो नामान्तरण अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विपरीत स्वीकृत होने से काबिले अपास्त योग्य हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित बेचान दिनांक 20.09.2023 के आधार पर बेचान को 2–4 दिन पश्चात् ही नामान्तरकरण दर्ज करवाने हेतु सम्बधित पटवारी हल्का को प्रति उपलब्ध करवा दी थी, लेकिन संबंधित राजस्व कर्मचारी द्वारा अपीलाण्ट का नाम खातेदार इन्द्राज नहीं किया गया न ही इसकी कोई जानकारी अपीलाण्ट को दी गई, अपीलाण्ट इसी विश्वास एवं भरोसे में रहा कि अपीलाण्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में बेचान के आधार पर इन्द्राज कर दिया होगा चूंकि वक्त खरीद से अपीलाण्ट का ही बेचान में वर्णित भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बहैसियत खरीददार के चला रहा तथा आज भी अपीलाण्ट व उसके परिवारजन का ही कब्जा काश्त है, जिसमें कभी भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के पिता/पति व स्वयं रेस्पोडेण्ट द्वारा कभी उज्र एतराज नहीं किया गया । स्वयं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 को अपीलाण्ट को बेचान की निजी जानकारी रही है उसके बावजूद भी मोतीलाल का स्वर्गवास होने के पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 द्वारा उक्त खाते में वर्णित अन्य भूमियों के साथ ही अपीलाण्ट को बेचान की गई भूमि को सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण कृषि भूमियों में फौतेदगी नामान्तरण अपने नाम स्वीकृत करवा दिया जो नामान्तरण विधि की दृष्टि में शुन्य अवैध व निष्प्रभावी है, तथा अपीलाण्ट द्वारा खरीद की गई भूमि की बेचान रजिस्ट्री की हद तक अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट वर्तमान में 83 वर्ष की उम्र में है जो कि आज से करीब 15–20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र शंकरलाल के साथ वृद्धावस्था होने से चैन्नई में निवास करने लग गये लेकिन उक्त भूमि पर अपीलाण्ट व उसके परिवारजन नियमित रूप से देखरेख सार सम्भाल करते है तथा अपीलाण्ट के हक हिस्से की भूमि पर अपीलाण्ट के परिवारजन ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग करते है। लेकिन उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड के संबंध में पूर्व में आवश्यकता नहीं होने से उक्त संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकें, लेकिन वर्तमान में अपीलाण्ट की उम्र अधिक होने से अपनी कृषि भूमि का अपने पुत्रों के मध्य अन्तरण हेतु अपने पैतृक गांव साण्डिया आये तथा दिनांक 05.06.2023 को संबंधित पटवारी हल्का से सम्पूर्ण कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी प्राप्त करने हेतु गये जहां पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूमि में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी दी तथा अपने पक्ष में बेचान की प्रति भी दिखाई जिस पर पटवारी द्वारा उक्त भूमि में अपीलाण्ट का नाम बेचान के आधार पर दर्ज नहीं होना जाहिर कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त संबंध में तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की दिनांक 14.06.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपियां प्राप्त की जिस पर सर्वप्रथम

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

अपीलाण्ट को बेचान के आधार पर अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं होने व स्वयं द्वारा खरीद की गई भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त जैर अपीलाधीन नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपी हेतु आवेदन करने पर दिनांक 20.06.2023 को प्रमाणित प्रतिलिपी सर्वप्रथम प्राप्त होने की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलाण्ट को उक्त जैर अपीलाधीन नामान्तरण की कोई जानकारी नहीं थी। पृथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया हैं। अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित कृषि भूमि को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के पिता/पति से जरिय रजिस्टर्ड बेचान प्रतिफल की राशि अदा कर खरीददार कब्जा प्राप्त किया तब से अपीलाण्ट का खरीदसुदा भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा अड़चन के शांतिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर अपीलाण्ट का ही कब्जा काश्त है, जिसमें कभी भी रेस्पोडेण्ट का कोई उज्र नहीं चला है, अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र रजिस्टर्ड दस्तावेज है, जिसकी विश्वनीयता पर भी कोई संदेह उत्पन्न नहीं किया जा सकता मात्र रेस्पोडेण्टगण द्वारा अन्य भूमियों के संबंध में फौतेदगी नामान्तरण इन्द्राज करवाते वक्त अपीलाण्ट की भूमि को भी सम्मिलित करते हुए सम्पूर्ण आराजीयात में अपीलाण्ट की बिना जानकारी दिये कब्जे के अभाव में अपने नाम म्यूटेशन स्वीकृत करवा दिया अपीलाण्ट उक्त भूमि का वैध खरीददार स्वामी है, इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के नाम जो नामान्तरण रेस्पोडेण्ट संख्या 6 द्वारा स्वीकृत किया गया है, वह अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान के पश्चात का है, जो प्रारम्भतः शून्य, बेअसर व निष्प्रभावी हैं, ऐसे नामान्तरण से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 को अपीलाण्ट की खरीदसुदा कृषि भूमि के संबंध में कोई हक अधिकार सृजित नहीं होते है, इसलिए जैर अपीलाधीन नामान्तरण को अपास्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है। इस प्रकार अपील अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत कर अपील स्वीकार फरमाई जाकर नामान्तरण संख्या 974 दिनांक 28.04.1999 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत साण्डिया को अपास्त करते व अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 20.09.1986 में वर्णित भूमि के आधार पर अपीलाण्ट का नाम खातेदार दर्ज करने हेतु आदेश पारित किये जाने ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने उक्त अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम का पेश किया कि अपीलाण्ट वर्तमान में 83 वर्ष की उम्र में हैं जो कि आज से करीब 15–20 वर्ष पूर्व अपने पुत्र शंकरलाल के साथ वृद्धावस्था होने से चैन्नई में निवास करने लग गये लेकिन उक्त भूमि पर अपीलाण्ट व उसके परिवारजन नियमित रूप से देखरेख सार सम्भाल करते है तथा अपीलाण्ट के हक हिस्से की भूमि पर अपीलाण्ट के परिवारजन ही कब्जा काश्त उपयोग उपभोग करते है। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड के संबंध में पूर्व में आवश्यकता नहीं होने से उक्त संबंध में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकें। वर्तमान में अपीलाण्ट की उम्र अधिक होने से अपनी कृषि भूमि का अपने पुत्रों के मध्य अन्तरण हेतु अपने पैतृक गांव साडिया आये तथा दिनांक 05.06.2023 को राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की नकल निकलने पर सर्वप्रथम उक्त भूमि में अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी दी तथा अपने पक्ष में बैचान की प्रति भी दिखाई जिस पर पटवारी द्वारा उक्त भूमि में अपीलाण्ट का नाम बैचान के आधार पर दर्ज नहीं होना जाहिर कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 का नाम दर्ज होने की जानकारी दी जिस पर अपीलाण्ट द्वारा उक्त संबंध में तमाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी की दिनांक 14.06.2023 को प्रमाणित प्रतिपियां प्राप्त की जिस पर सर्वप्रथम अपीलाण्ट को बेचान के आधार पर अपीलाण्ट का नाम दर्ज नहीं होने व स्वयं द्वारा खरीद की गई भूमि के संबंध में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होने की जानकारी हुई। अपीलाण्ट द्वारा जानबुझकर जानकारी प्राप्त करने में उपेक्षा नहीं की है, जानकारी प्राप्त होते ही उक्त अपील श्रीमान के समक्ष बिना विलम्ब के प्रस्तुत की जा रही है। अपीलाण्ट को नामान्तरण स्वीकृत की जानकारी नहीं थी, इसलिए

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

नामान्तरण स्वीकृत होने से अपील प्रस्तुत करने में लगे समय को कंडोन किया जाकर अपील अन्दर म्याद शुमार की जानी आवश्यक व न्याय संगत है।

इस पर राजस्व अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टान को जरिए सम्मन्स तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 04 को जारी सम्मन लेने के इन्कार की तस्दीक के साथ लोटे है। जो तामिल की श्रेणी में आने से तामिल मानी जाती है। बावजूद सूचना / तामिल बार बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 04.10.2023 को की जाती है।

बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलान्ट दौराने बहस व्यक्त किया कि सरहद मौजा ग्राम साण्डिया पटवार हल्का साण्डिया, तहसील सोजत के खसरा नंबर 827 रकबा 0.7700 हैक्टर व खसरा नंबर 831 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नंबर 838 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा नंबर 830 रकबा 0.1100 हैक्टर की कृषि भूमि आयी हुई है। जिस कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेण्टगण संख्या 1 से 5 के पिता/पति मोतीलाल पुत्र जसाराम व अन्य सह खातेदारान लक्ष्मीनारायण गौद पुत्र शंकरलाल की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की स्थित है। राजस्व रेकर्ड में जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 व 2050 से 2053 व 2054 से 2057 से बखुबी स्पष्ट है। उक्त वर्णित खसरा नम्बरान में मोतीलाल पुत्र जसाराम का 1/2 हक हिस्सा खातेदारी कब्जा काश्त का था, जिन्होने अपने सम्पूर्ण 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में बेचान करना तय कर प्रतिफल की राशि 20,000/- रोकड़ प्राप्त कर कब्जा सुपुर्द कर बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में दिनांक 19.09.1986 को किया। जिस बेचान का पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय सोजत सिटी में दिनांक 20.09.1986 का पंजीयनसुदा है। मोतीलाल के स्वर्गवास पश्चात् रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 5 द्वारा यह जानते हुए कि उक्त भूमि का बेचान अपीलाण्ट के पक्ष में किया जा चुका है। उसके बावजूद विधि विरूद्ध तरीके से रेस्पोडेण्ट संख्या 6 से मिलावट कर बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये अपने नाम जरिये नामान्तरण संख्या 974 दिनांक 28.04.1999 को कब्जे के अभाव में स्वीकृत करवा दिया जो नामान्तरण अपीलाण्ट के हक अधिकारों के विपरित शून्य है जिसे अपास्त कर नामान्तरण संख्या 974 दिनांक 28.04.1999 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत साण्डिया को खारिज कर अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांकित 20.09.1986 में वर्णित भूमि के आधार पर अपीलाण्ट का नाम खातेदार दर्ज करने हेतु आदेश पारित फरमाने की ईशतदुआ की है। जवाब बहस में अधिक्ता रेस्पोडन्ट संख्या 5 ने निवेदन किया कि अपीलान्ट की अपील सारहीन व तथ्यहीन है। अपीलान्ट अपील के जरिये अपने हक अधिकार तय नही करवा सकता। लिहाजा अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा धारा 05 म्याद अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्या / देरीना कारण युक्ति युक्त होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः पंजीबद्ध दस्तावेज बैचान रजिस्ट्री दिनांक 20.09.1986 के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 5 के पिता द्वारा सरहद मौजा ग्राम साण्डिया पटवार हल्का साण्डिया, तहसील सोजत के खसरा नंबर 827 रकबा 0.7700 हैक्टर व खसरा नंबर 831 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नंबर 838 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा नंबर 830 रकबा 0.1100 हैक्टर की कृषि भूमि को अपीलान्ट को बैचान करने की पुष्टि होती है। किन्तु बैचानकर्ता की मृत्यु के पश्चात बैचान शुदा उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 के हक में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 974 दिनांक 28.04.1999 के जरिये दर्ज कर राजस्व रेकर्ड में नाम दर्ज कर दिया गया। जो कि विधि सम्मत नही है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 974 दिनांक 28.04.1999 को निरस्त किया जाकर पुनः नये सिरे से जॉच कर विधि अनुरूप नामान्तरकरण की कार्यवाही की जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

—: आदेश :—

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य है, लिहाजा स्वीकार की जाती है। सरहद मौजा ग्राम साण्डिया पटवार हल्का साण्डिया, तहसील सोजत के खसरा नंबर 827 रकबा 0.7700 हैक्टर व खसरा नंबर 831 रकबा 0.7600 हैक्टर, खसरा नंबर 838 रकबा 0.6900 हैक्टर, खसरा नंबर 830 रकबा 0.1100 हैक्टर की कृषि भूमि का नामान्तरण संख्या 974 दिनांक 28.04.1999 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत साण्डिया विधि विरूद्ध होने से अपास्त किया जाता है। तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट के पक्ष में निष्पादित बेचान रजिस्ट्री दिनांक 20.09.1986 की जॉच कर विधि सम्मत नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करें। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 18/11/23 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली